रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2785] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2015/पौष 2, 1937
No. 2785] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2015/PAUSA 2, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3506(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बोर्ड के परामर्श पर और इस बात के लिए तुष्ट हो जाने पर कि पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है, निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एतद्द्वारा एक समिति गठन करती है नामश:-

1	विशेष सचिव/ अपर सचिव पशु कल्याण प्रभारी, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव (पशु कल्याण) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष
3	डा.अक्षय चंद्र धारीवाल, निदेशक, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीस कंट्रोल प्रोग्राम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य

	मंत्रालय, भारत सरकार, 22-शाम नाथ मार्ग, दिल्ली-110054	
4	डा. अशोक काले परशुराम, प्रोफेसर, प्रेवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, डा. उल्हास पाटिल मेडिकल कॉलेज, जलगांव (महाराष्ट्र) पूर्व अध्यक्ष अरोग्य भारती, पूणा , जी 11, कर्ण सोसाइटी, निकट रोजरी स्कूल, वारजे, पूणे-411058	सदस्य
5	डा.ए.बी.पाण्डेय अध्यक्ष, डिवीजन ऑफ विरॉलज़ि कम स्टेशन इंचार्ज, आईवीआरआई परिसर, मुक्तेश्वर (कुमायूं), जिला नैनीताल, उत्तराखंड-263138	सदस्य
6	डा.सुख महेन्द्र सिंह, स्कूल ऑफ बायोटेक्नालॅजि, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, विज्ञान संकाय, वाराणसी-221005, उत्तर प्रदेश	सदस्य
7	प्रो.मदन मोहन चतुर्वेदी, निदेशक, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, संकायाध्यक्ष (अनुसंधान-जीव विज्ञान), प्रोफेसर बॉयोकेमिस्ट्री एंड मोलक्युलर बायोलॉजी, दिल्ली विश्वविद्यालय	सदस्य
8	डा.एन.के सुबेदार, प्रोफेसर, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, डा.होमी भाभा रोड, पुणे-411008	सदस्य
9	प्रो.बेचान लाल, प्रोफेसर, फिश एंडोक्रिनोलज़ि लेबॉटरी, प्राणि-विज्ञान विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005	सदस्य
10	डा. एस.चिन्नै कृष्ण, 398, टीटीके रोड, चैन्ने-600018	सदस्य
11	डा. तपेश माथुर, पशु-चिकित्सा अधिकारी, पशु पालन विभाग, राजस्थान सरकार।	सदस्य

IndiaCode

12	डा.पायल मागो, प्रधानाचार्य, शहीद राजगुरू कॉलेज ऑफ ॲप्लाइड साईंसिस फॉर वुमेन, दिल्ली विश्वविद्यालय, 71, नवयुग अपार्टमेंटस, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली-110085	सदस्य
13	प्रोफेसर एल.सी.राय, अध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड कॉर्डिनेटर, सेंटर ऑफ ॲड्वांसड स्टडी इन बॉटनी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी- 221005	सदस्य
14	डा.आर.बालासुब्रामणियन, विज्ञान नीति सलाहकार, रिसर्च एंड टॉकि सकॉलजि डिपार्टमेंट, ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल, हैदराबाद	सदस्य
15	भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून से प्रतिनिधि	सदस्य
16	अध्यक्ष, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई), सं.13/1,थर्ड सेवार्ड रोड, वाल्मिकी नगर, थिरूवनमियूर, चैन्नै-600041	सदस्य
17	निदेशक, राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान(एनआईएडब्ल्यू), बल्लभगढ़, हरियाणा	सदस्य
18	निदेशक/उप-सचिव (पशु कल्याण) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

2. केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पशु कल्याण के प्रभारी, विशेष सचिव/अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसार समिति के अध्यक्ष पद के लिए नामित करती है।

3. संयुक्त सचिव (पशु कल्याण) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे।

4. समिति का कार्यकाल, इससे पहले भंग न होने पर, इसके गठन की तारीख से 2 वर्ष का होगा।

5. दिनांक 30.08.2012 की राजपत्र अधिसूचना का.आ.2041 (अ) के द्वारा पहले गठित की गई समिति यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से भंग मानी जाए।

[फा. सं. 25/44/2015-सीपीसीएसईए]

अनिल बहुगुणा, संयुक्त सचिव

IndiaCode

टिप्पणी: पशुओं पर प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति का गठन करने हेतु भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 10.1.2003 की पहली अधिसूचना संख्या का.आ. 32 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और बाद में दिनांक 26.5.2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 599(अ); दिनांक 21.8.2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 955 (अ); 15.1.2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 69 (अ); 25.1.2005 की अधिसूचना सं.का.आ. 85(अ); 17.10.2005 की अधिसूचना सं.का.आ. 1491 (अ); और 21.6.2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 933 (अ) अधिसूचनाओं के द्वारा उसका संशोधन किया गया। दिनांक 19.10.2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1817 (अ) के द्वारा समिति का पुनर्गठन किया गया था तथा दिनांक 7.6.2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1328 (अ) और. 10.11.2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2778 (अ) के तहत अधिसूचनाओं के द्वारा उसका संशोधन किया गया । इसके बाद समिति का फिर पुनर्गठन किया गया तथा इसे भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 30.08.2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2041 (अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2015

S.O. 3506(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 (1) of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government, on the advice of the Board, and being satisfied that it is necessary for the purpose of controlling and supervising experiments on animals, hereby constitutes a Committee consisting of the following persons as its Members, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

1	Special Secretary / Additional Secretary, Incharge of Animal Welfare, Government of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi	Chairman
2	Joint Secretary (Animal Welfare), Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi	Vice Chairman
3.	Dr. Akshay Chandra Dhariwal Director, National Vector Borne Diseases Control Programme, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India, 22-Sham Nath Marg, Delhi – 110054	Member
4.	Dr. Ashok Kale Parshuram Professor, Preventive & Social Medicine, Dr. Ulhas Patil Medical College, Jalgaon (Maharashtra), Purv Adhyaksha Arogya Bharti, Puna G11, Karan Society, Near Rosary School, Warje, Pune – 411058	Member
5.	Dr. A.B. Pandey Head, Division of Virology cum Station Incharge, IVRI campus, Mukteswar (Kumaon), Distt Nainital, Uttarakhand - 263138	Member

6.	Dr. Sukh Mahendra Singh, School of Biotechnology, Banaras Hindu University, Faculty of Science, Varanasi – 221005, U.P.	Member
7.	Prof. Madan Mohan Chaturvedi Director, Cluster Innovation Centre Dean (Research-Life Sciences), Professor Biochemistry and Molecular Biology, University of Delhi	Member
8.	Dr. N. K. Subhedar Professor, Indian Institute of Science Education & Research, Dr. Homi Bhabha Road, Pune – 411008	Member
9.	Prof. Bechan Lal Professor, Fish Endocrinology Laboratory, Department of Zoology, Banaras Hindu University, Varanasi - 221005	Member
10.	Dr. S. Chinny Krishna, 398, TTK Road, Chennai-600018	Member
11.	Dr. Tapesh Mathur Veterinary Officer , Department of Animal Husbandry, Government of Rajasthan.	Member
12.	Dr. Payal Mago Pricipal, Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women, University of Delhi, 71 Navyug Appartments, Sector 9, Rohini, Delhi – 110085.	Member
13.	Prof. L.C. Rai Head, Department of Botany & Coordinator, Centre of Advanced Study in Botany, Banaras Hindu University, Varanasi – 221005.	Member
14.	Dr. R Balasubramanian Science Policy Advisor, Research and Toxiciology Department, Humane Society International, Hyderabad.	Member
15.	Representative from Wild Life Institute of India (WII), Dehradun.	Member
16.	Chairman, Animal Welfare Board of India (AWBI), No. 13/1, 3rd Seward Road, Valmiki Nagar, Thiruvanmiyur, Chennai – 600041.	Member
17.	Director, National Institute of Animal Welfare (NIAW), Ballabhgarh, Haryana.	Member
18.	Director/Deputy Secretary (Animal Welfare) Ministry of Environment, Forests & Climate Change, New Delhi.	Member Secretary

2. The Central Government hereby nominates Special Secretary / Additional Secretary, incharge of Animal Welfare, Ministry of Environment, Forest & Climate Change to be the Chairman of the Committee as per sub-section (2) of Section 15 of the said Act.

3. Joint Secretary (Animal Welfare), Ministry of Environment, Forest & Climate Change will be Vice Chairman of the Committee.

4. The term of the Committee shall, unless sooner dissolved, be two years from the date of its constitution.

IndiaCode

5. The Committee constituted earlier vide Gazette Notification no. S.O. 2041(E) dated 30.08.2012 stands dissolved from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 25/44/2015-CPCSEA]

ANIL BAHUGUNA, Jt. Secy.

Note: The earlier notification constituting the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals was published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O.32 (E) dated 10th January, 2003 and was subsequently amended vide Notification Numbers. S.O. 599(E) dated 26.05.2003, S.O.955(E) dated 21.08.2003, S.O.69(E) dated 15.01.2004, S.O.85(E) dated 25.01.2005, S.O.1491(E) dated 17.10.2005 and S.O.933(E) dated 21.06.2006. The Committee was again constituted and published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O.1817(E) dated 19.10.2006 and amended vide notification numbers S.O.1328(E) dated 07.06.2010 and S.O.2778(E) dated 10.11.2010. The Committee was further re-constituted and published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O.2041(E) dated 30.08.2012.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.